HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 40857 of 2024

Amit Kumar

.....Applicant(s)

Versus

State Of Up 3 Others

.....Opposite Party(s)

Counsel for Applicant(s)	:	Mohd. Shahibe Alam
Counsel for Opposite Party(s)	:	Durga Singh, G.A., Shivangi Bhargava

Court No. - 65

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, परिवादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि न्यायालय के आदेश दिनांक 15.11.2025 के द्वारा आवेदक व पीड़िता के बच्चे का डी.एन.ए. परीक्षण हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आदेशित किया गया था, जिसके अनुपालन डी.एन.ए. सैंपल विधि-विज्ञान प्रयोगशाला, प्रयागराज भेजा जा चुका है। उनके द्वारा यह भी कथन किया गया कि वर्तमान में पीड़िता अपने नवजात संतान के साथ नारी-निकेतन, खुल्दाबाद में निवास कर रही है।

3. परिवादी के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकयी अधिवक्ता का तर्क है कि उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में आवेदक व पीड़िता के बच्चे का डी.एन.ए. सैंपल विधि-विज्ञान प्रयोगशाला, प्रयागराज भेजा जा चुका है, किंतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, प्रयागराज के वैज्ञानिक अधिकारी डी.एन.ए. अनुभाग द्वारा "बच्ची के पिता से डी.एन.ए. परीक्षण हेतु मां का भी डी.एन.ए. सैंपल लेना आवश्यक है, बिना मां के सैंपल लिए डी.एन.ए. परीक्षण का रिपोर्ट प्राप्त नहीं होता है।" टिप्पणी की गयी है। जिसके आलोच्य में पीड़िता का भी डी.एन.ए. परीक्षण कराया जाना न्योयोचित होगा।

4. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को तर्कों एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रयाराज द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, दिनांकित 06.12.2025 के आलोक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रयागराज को निर्देशित किया जाता है कि मु०अ०सं० 205/024, अंतर्गत धारा 376(2), 506 भा०द०वि० एवं धारा 5/6 पाक्सो एक्ट, थाना माण्डा, जिला प्रयागराज में पीड़िता के डी.एन.ए. परीक्षण हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से नमूने एकत्र कर उसे संबंधित विधि-विज्ञान प्रयोगशाला को भेजें, जो यथाशीघ्र इस मामलें के आवेदक व पीड़िता के बच्चे का उक्त पूर्व

प्रेषित डी.एन.ए. सैंपल से मिलान/ परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को 10 दिवस के अंदर एक सीलबंद लिफाफे में भेजेंगे, जो इसे अग्रिम नियत तिथि को या उससे पूर्व इस न्यायालय को भेजेंगे।

5. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति 24 घंटे के भीतर संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

6. तद्नुसार, इस वाद को दि० 19.01.2026 को सूचीबद्ध किया जाय।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

January 5, 2026

CP.sahani

Digitally signed by :-
CHANDRA PRAKASH SAHANI
High Court of Judicature at Allahabad